राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

क्रमांक :– ले.वि. / 2021 / दिनांकः

परिपत्र

इस कार्यालय के यह ध्यान में आया है कि विश्वविद्यालय की कतिपय इकाईयों द्वारा छात्रों के प्रवेश शुल्क आदि ऑनलाइन जमा करवाने के स्थान पर चालान के माध्यम से जमा कराये जा रहे हैं। इस कार्यालय के पत्रांक लेखा एवं वित्त / 2019 / 521–591 दिनांक 01.07.2019 द्वारा पूर्व में सभी ईकाइयों को फीस आदि ऑनलाईन मोड (online mode) में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं। परन्तु अभी भी कतिपय विभागों द्वारा अपने स्तर पर निर्देश जारी कर चालान से फीस इत्यादि जमा कराये जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था की मूल भावना तथा राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत हैं। इससे राशियों के मिलान व वित्त प्रबन्धन में तरह तरह की कठिनाईयां पैदा हो रही हैं।

अतः विश्वविद्यालयों के सभी इकाईयों के अध्यक्षों / प्रभारियों से पुनः अनुरोध है कि छात्रों के शुल्क ऑन लाईन मोड (online mode) में ही जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे गम्भीरता से लेवे।

(डॉ. होशियार सिंह)
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :– ले.वि. / 2021 / 3335-3415 दिनांकः 13/1/2022

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैं :–

1. समस्त प्राचार्य, संघठक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राज.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी.स्कूल्स, केन्द्र, राज.वि.वि., जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय की सभी इकाईयों के छात्रों के शुल्क ऑनलाइन जमा कराना सुनिश्चित करावें।
5. निजी सचिव–कुलपति, राज.वि.वि., जयपुर।
6. मैंनेजर, आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, विश्वविद्यालय परिसर को प्रेषित कर लेख है कि छात्रों के शुल्क चालान के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जाये। समस्त शुल्क ऑनलाइन ही स्वीकार किये जावे।
7. व.निजी सहायक, कुलसचिव / वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।

13/01/22
(राज कुमार जैन)
उप–कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)